बिन्दु सं0–5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 की स्थापना वर्ष 1976 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी । निगम के मुख्य उद्देश्य निगम के मेमोरण्डम एवं आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त निगम के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों हेतु शासन/निगम के निदेशक मण्डल द्वारा सेवा नियमावली अनुमोदित की गयी है। निर्माण इकाईयों को समय–समय पर निर्माण कार्यों के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिये जाने हेतु सरकुलर/कार्यालय परिपत्र आदि जारी किये जाते हैं । निगम में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत रिकार्ड बनाया गया है एवं अध्यावधिक रखा जा रहा है । निगम के लेखों के आन्तरिक सम्परीक्षण की व्यवस्था प्रचलित है । इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्परीक्षकों द्वारा निगम के लेखों का वैधानिक सम्परीक्षण किया जाता है तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा भी निगम के लेखों का अनुपूरक तथा नियमित सम्परीक्षण सम्पादित किया जाता है ।